

# कैम्प गोपालपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री प्रवीण कुमार (RAS)

वादपत्र संख्या 88/2012

दायर तारीख 06.12.2012

1. योगेश पुत्र छीतरलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. मुनेश उर्फ मनीष पिता छीतरलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीगण

## बनाम

1. ऐजन विधवा भेरुलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. कैलाश पुत्र भेरुलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. प्रेम पुत्री भेरुलाल जाति धाकड पत्नि जगदीश उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिजौलिया मार्फत प्रबंध महादेय
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक :- 08.05.2018

सक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम माजी साहब का खेडा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियां की आराजी न0 117, 133, 184, 186, 213, 239, 316, 461, 461/1, 618, 638, 653, 667, 671, 855/185, 856/300 कुल किता 17 रकबा 32-12 बीघा भूमि का विभाजन कर बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करने हेतु तहसीलदार बिजौलिया को आदेशित किया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/592 दिनांक 07.05.2018 से विभाजन कर विभाजन पत्रादि इस कार्यालय को प्रस्तुत किये है प्राप्त विभाजन पत्र अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित एबाहोवाराण के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।


क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	योगेश कुमार, मुनेश उर्फ मनीष पिता छीतरलाल धाकड सा0 देह खातेदार	माजीसाहब का खेडा	117/2	1-02	माल I	2-31
			133/2	0-09	माल II	0-72
			184	0-05	बंजड	0-08
			189	2-04	चाही उत्तम	16-50
			186/2	0-06	माल I	0-63
			855/185	0-03	बंजड	0-04
			239	1-00	चाही उत्तम	7-50
			461	5-15	माल I	12-07
			461/1	0-03	माल I	-
			618	4-04	माल I	8-82

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

02	ऐजन बाई बेवा भैरुलाल, कैलाश, प्रेम पिता भैरुलाल धाकड सा0 देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिजौलियां	माजीसाहब का खेडा	117 / 1	1-01	माल I	2-20
			133 / 1	0-10	माल I	0-80
			186 / 1	0-07	माल I	0-74
			912 / 855	0-03	बंजड	0-05
			213	1-06	चाह I	7-80
			316	1-12	चाह उत्तम	12-00
			856 / 300	0-13	बंजड	0-20
			653	2-18	माल I	6-09
			638	2-03	माल I	4-51
			667	1-04	बंजड	0-36
			671	5-04	माल I	10-92
योग		किता 11	17-01		45-67	

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियां अधिकारी  
 कैंप गोपालपुरा तिलवाडा